ई–मेल
महत्वपूर्ण

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या जी– 1766/29–5(पुरस्कार–2016), लखनऊःदिनांकः जून 29/: 2016

सेवा में,

1– समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक,
(वन्य जीव सहित), उत्तर प्रदेश।
2– समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषयः–**वीर अब्दुल हमीद वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार– वित्तीय वर्ष 2016–17.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत के संविधान के अनुच्छेद–162 के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या–1005/14–5–183/2010, दिनांक 30–9–2011 तथा शासन का पत्रांक– 526/14–5–2012–183/2010, दिनांक 4–9–2012 की प्रति पूर्व में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा चुकी है। पुनः सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अधिसूचना की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया वीर अब्दुल हमीद वन, वन्यजीव एवं संरक्षण पुरस्कार हेतु संलग्न अधिसूचना में उल्लिखित नामांकन वित्तीय वर्ष 2016–17 में निम्नलिखित प्रकिया से प्राप्त किया जाना हैः–

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से व्यक्तियों/संगठनों से निर्धारित प्रारूप में निर्धारित दिनांक 19–08–2016 के भीतर नामांकन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

1– आवेदक व्यक्ति/संगठन को विगत पांच या अधिक वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना होगा, ताकि उसका भौतिक सत्यापन, अनुश्रवण व मूल्यांकन किया जा सके।

2– सरकारी विभाग भी पात्र हैं, परन्तु ऐसी स्थिति में उनके द्वारा विगत पांच या अधिक वर्षों में किये गये सम्पूर्ण कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।

3– पुरस्कार हेतु नामांकन केवल संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दो प्रतियों में भेजे जायेंगें।

4– प्रभागीय वनाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे भी अपने क्षेत्र के भारत के नागरिकों/विधिक रूप से पंजीकृत संगठनों जिन्होंने उपरोक्त शासकीय अधिसूचनाओं के आधार पर वन, वन्य जीवों एवं पर्यावरण संरक्षण में किए गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए कार्य किया हो, उनका चयन किया जाय तथा अपने स्तर से उनके नामांकन में दर्शाए गये कार्यो का सत्यापन, पूर्ण परीक्षणोंपरान्त अपनी स्पष्ट संस्तुति एवं महत्वपूर्ण कार्य के लिए किये गये कार्य का दो–दो फोटोग्राफ्स के साथ नामांकन दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करायें।

इस पुरस्कार में नामांकन पत्र प्रभागीय कार्यालय में जमा करने की **अन्तिम तिथि 19–08–2016 तक** है अतः इस योजना का अपने कार्यालय स्तर से वृहद् प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक नामांकन प्राप्त हो सकें। आपके सुलभ संदर्भ हेतु नामांकन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(ए0के0 द्विवेदी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
28/6/16

संख्या जी–1766/ तद्दिनांकित।

1– प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा मूल्यांकन एवं कार्ययोजना उत्तर प्रदेश, लखनऊ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
28/6/16

संख्या जी–1766/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना एवं नामांकन प्रपत्र की एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
28/6/16

वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश

''वीर अब्दुल हमीद वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार''

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए नामांकन–पत्र

1. (क) नामित व्यक्ति/संस्था का नाम .....

   (ख) नामित व्यक्ति/संस्था का पता .....

   .....

2. प्रायोजक का नाम व पता .....

   .....

3. पुरस्कार की श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया है .....

4. परियोजना का स्थान .....

5. व्यक्ति/संस्था द्वारा जिस भूमि पर उत्कृष्ट कार्य किया गया है जिसकी किस्म को बताते हुए वास्तविक क्षेत्र, स्थान तथा स्वामित्व .....

   (1) स्थान– .....

   (2) कुल वास्तविक क्षेत्र (हैक्टेयर में) जहॉ वृक्षारोपण कार्य किए गये हैं।

   .....

स्वामित्व	हैक्टेयर क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण *
निजी भूमि (दूसरों की)		
व्यक्तिगत भूमि		
सामुदायिक भूमि		
राजस्व भूमि		

*अर्थात चट्टानों, दलदली, बलुई मिट्टी, लवणीय/क्षारीय (लवण प्राभावित) भूमि, पहाड़ी व बीहड़ क्षेत्र, अन्य कोई विशेष किस्म

6. पौधालय एवं वृक्षारोपण हेतु किये गये कार्य का विवरण

पौधशालाएं एवं वृक्षारोपण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	योग
क. स्थापित पौधशालाओं की संख्या						
ख. इन पौधशालाओं में उगाई गयी पौध की संख्या						
ग. लोगों को वितरित किए गए पौधों की संख्या						
घ. लगाए गए वृक्षों का क्षेत्रफल (हे0में) और लगाई गई पौध की संख्या						

1. मृदा और नमी संरक्षण के लिए किए गए प्रयास (जैसे गली बंद करना, रोक बांध, समोच्च बांध, टेढी–मेढी खंदकें आदि)

2. रोपे गये वृक्षों की प्रजातियों का उल्लेख करते हुए नीम, जामुन, बेल, ईमली, बरगद, पीपल, शीशम का प्रतिशत बताएं।

3. सामुदायिक भूमि तथा चारागाह भूमि पर पूर्व से ही उपलब्ध पर्यावरणीय संरक्षण हेतु उपयोग प्रजातियों यथा नीम, जामुन, बेल, ईमली, बरगद, पीपल, शीशम के सम्वर्धन हेतु किये गये प्रयास एवं उसका परिणाम।

4. सामुदायिक वनों तथा चारागाह भूमि पर सामाजिक/वानस्पतिक बाड़ लगाने के संबंध में किया गया कार्य।

5. आयोजित किए शिविरों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों तथा इनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बताते हुए विस्तार/जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यकलाप।

6. चट्टानों, दलदली, बलुई मिट्टी, भूमि, पहाड़ी व बीहड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में किया गया कार्य इन कारकों पर काबू पाने के लिए किए गए विशेष प्रयास, यदि कोई हों।

7– किए गये कार्य की अवधि और वर्तमान स्थिति (वृक्षारोपण की जीवितता दर के विशेष संदर्भ में।

8– लाभार्थियों की संख्या जिसमें उनकी श्रेणियॉ बताएं अर्थात्–

महिलाएं		लघु तथा सीमांत कृषक	
अनुसूचित जाति		भूमिहीन श्रमिक	
अनुसूचित जन जाति		अन्य	

9– वन्य जीव संरक्षण से संबंधित किए गये कार्य का विवरण–

मानव–वन्य जीव संघर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	योग
क. संरक्षित किये गए वन्य जीव की प्रजाति एवं संख्या						
ख. मानव–वन्य जीव संघर्ष में सुरक्षित किए गये व्यक्तियों की संख्या						
ग. वन्य जीव अपराधों के रोकथाम में सहयोग (अभियुक्तों की सूचना देना, दबिश व गिरफ्तारी में सहयोग देना आदि)						

10– नामित व्यक्ति/संस्था के परती भूमि विकास कार्यो एवं वन्य जीव संरक्षण से सम्बन्धित प्रकाशन/लेख/फोटो चित्र आदि।

11– विगत समय में ऐसी उपलब्धियों अथवा इसी प्रकार की अन्य उपलब्धियों के लिए प्राप्त किया गया कोई पुरस्कार।

12– अन्य उपलब्धियॉ (यदि कोई हों) तथा नामित व्यक्ति/संस्था द्वारा किये गये अग्रणी तथा नवीन कार्यो की विशेषताएं

नोट–जिस किसी बिन्दु में अतिरिक्त सूचना दी जानी हो, कृपया बिन्दुवार सूचना संलग्न करें।

स्थान .....

तिथि ..... (नामित व्यक्ति/संस्था के पदाधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम, पदनाम तथा पता

प्रायोजक प्राधिकारी की संस्तुति (नामित व्यक्ति/संस्था द्वारा किए गए अग्रणी तथा नवीन कार्यो के विशेष संदर्भ में)

स्थान .....

तिथि ..... (प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम, पदनाम तथा पता

उत्तर प्रदेश सरकार

वन अनुभाग–5

संख्या–1005 / 14–5–2011–183 / 2010

लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, "मान्यवर श्री कांशीराम वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण" पुरस्कार विषयक निम्नलिखित निदेशात्मक सिद्वान्त प्रख्यापित करते हैं :-

1– शीर्षक :–

"मान्यवर श्री कांशीराम वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण" पुरस्कार।

2– उद्देश्य :–

यह पुरस्कार वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किये गये [illegible] महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिये जाएंगे जिसका वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण के संरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता हो।

3-- धनराशि एवं संख्या :–

यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति एवं एक संगठन को अलग-अलग प्रदान किया जायेगा। यह पुरस्कार व्यक्ति के लिए रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) एवं संगठन के लिए रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) का होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी के पुरस्कार में एक--एक स्मृति--चिन्ह भी प्रदान किया जायेगा।

4– पात्रता :–

"मान्यवर श्री कांशीराम वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण" पुरस्कार हेतु व्यक्तिगत और संगठन की श्रेणियों के लिये निम्नलिखित पात्रता मापदंड आवश्यक हैं-

1-- वानिकी, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण के अनुसंधान/फील्ड कार्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कार्यरत भारत का कोई नागरिक या विधिक रूप से पंजीकृत संगठन हो।

2-- यह पुरस्कार ऐसे महत्वपूर्ण योगदानों के लिए प्रदान किये जायेंगे जो वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में स्वीकार किये गये हों और जिनका वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण में ऐसी क्षमता हो कि उसका प्रभाव [illegible] संरक्षण में दृष्टिगोचर हो। इस पुरस्कार हेतु कोई आयु सीमा नहीं है।

कार्य–क्षेत्र की निदेशात्मक सूची नीचे प्रदान की जा रही है :–

1-- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

2-- अपूर्य प्राकृतिक संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग।

3– पर्यावरणीय प्रबन्धन।

4— पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए उत्कृष्ट फील्ड कार्य (नये अनुसंधान कार्यो को सम्मिलित करते हुए) जैसे—वृक्षारोपण, भूमि सुधार, जल उपचार वायु शोधन, जलवायु परिवर्तन आदि पर किये गये कार्य।
5— वन्यजीव संरक्षण।
6— जैव विविधता संरक्षण और
7— वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित अन्य कोई क्षेत्र।

5— <u>चयन प्रकिया—</u>

"मान्यवर श्री कांशीराम वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण" पुरस्कार के लिए नामांकन निम्नलिखित प्रकिया से प्राप्त किया जायेगा :—

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से व्यक्तियों/संगठनों से निर्धारित प्रारूप में निर्धारित दिनांक के भीतर नामांकन आमंत्रित किये जायेंगे।

1— आवेदक व्यक्ति/संगठन को विगत पांच वर्षो में किये गये कार्यो का विवरण प्रस्तुत करना होगा ताकि उसका भौतिक सत्यापन, अनुश्रवण व मूल्यांकन किया जा सके।
2— सरकारी विभाग भी पात्र हैं परन्तु ऐसी स्थिति में उनके द्वारा विगत पाँच वर्षो में किये गये सम्पूर्ण कार्यो का मूल्यांकन किया जायेगा।
3— नामांकन सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजे जायेंगें।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, प्राप्त सभी नामांकन पत्रों को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विचारार्थ/सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1—	प्रमुख वन संरक्षक,उत्तरप्रदेश,लखनऊ	— अध्यक्ष
2—	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	— सदस्य
3—	अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	—संयोजक सदस्य

6– <u>चयन समिति</u>–

"मान्यवर श्री कांशीराम वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण" पुरस्कार हेतु समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :–

1–	मा0 मंत्री, वन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3–	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य सचिव
4–	अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
5–	कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
6–	कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
7–	अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य

7– <u>चयन का मापदंड</u> :–

चयन समिति नामांकनों पर विचार करते समय निम्नलिखित मापदंडों और पर्यावरण के क्षेत्र में किये गये योगदान की कोटि को ध्यान में रखेगी :–

1	प्रतिवलनीयता	इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई कार्य [illegible] [illegible] परिस्थितियों में प्रतिवलित किया जा सकता है।
2	नवीनता/सृजनशीलता	ऐसा कार्य जिसमे नवीनता, मौलिकता और नई परिकल्पना की झलक परिलक्षित हो।
3	लक्ष्य समूह	इन कार्यों से किस लक्ष्य समूह को लाभ पहुँचा, यथा–शहरी या ग्रामीण समुदाय, पुरुष या महिला, दुर्गम क्षेत्रों के लोग या शहरी क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोग या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग।
4	प्रेरणात्मक महत्व	बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनका प्रेरणात्मक महत्व होता है और जिनका अनुकरण दूसरों द्वारा किया जाता है। हमारी अगली पीढ़ी और समाज के अन्य लोग ऐसे कार्यों का अवलोकन करते हैं और ऐसी पहल का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं।
5	पोषणीयता (वित्तीय, पारिस्थितिकीय और सामाजिक)	पोषणीयता का तात्पर्य यह है कि जो कार्य किया गया है, वह अपने आपमें भविष्य में अपने व्यय को वहन करने में सक्षम है, दूसरे शब्दों में ऐसे कार्यों का लागत–लाभ अनुपात उपयोगी और व्यावहारिक सीमा में है।

7.

8— पुरस्कार वितरण

1— वन विभाग, उत्तर प्रदेश इन पुरस्कारों के वितरण के लिए किसी विशेष अवसर पर एक औपचारिक समारोह का आयोजन करेगा।

2— चयनित व्यक्ति/संगठन के प्रतिनिधि सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय (रेल का वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा वायुयान के किफायती श्रेणी का किराया) के लिए हकदार होंगे और इसके अतिरिक्त राज्य अतिथि के रूप में अन्य स्थानीय प्रबन्ध किये जायेंगे।

3— वृद्ध एवं गम्भीर रूप से अस्वस्थ या शारीरिक रूप से अक्षम पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अपने साथ एक सहयोगी लाने की अनुमति होगी। ऐसा सहयोगी उन्हीं सुविधाओं को पाने का हकदार होगा जिसे पाने के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ता हकदार होगा।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1525(1)/14--5—2010—183/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त मण्डलायुक्त/जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5— प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6— अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0 प्र0, लखनऊ।
7— अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0, लखनऊ।
8— कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर।
9— कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
10— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
11— रक्ष पत्रावली।

(पवन कुमार)
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग–5
संख्या– 526/ 14–5–2012–183 / 2010
लखनऊ दिनांक 04 सितम्बर 2012

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या– 1005 / 14– 5–2011–183 / 2010, दिनांक 30–09–2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में जहाँ कहीं भी शब्द "मान्यवर श्री कांशीराम वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार" आये हों, के स्थान पर नामतः शब्द "वीर अब्दुल हमीद वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार" रख दिये जायेगें।

आज्ञा से,
(संजेश कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या–526(1)/14–5–2012 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उप निदेशक (प्र0), राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को अधिसूचना की हिन्दी तथा अंग्रेजी की एक–एक प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना/संशोधन को साधारण गजट में तत्काल प्रकाशित कर 500 प्रतियाँ शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7– अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0 प्र0, लखनऊ।
8– अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0, लखनऊ।
9– उप कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर।
10– कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
11– मुख्य सचिव के निजी सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
12– गार्ड फाइल।

SEP 2012

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उ0 प्र0 लखनऊ
संख्या ए – 925/38–14 (संरक्षण) दिनांक लखनऊ ...

प्रतिलिपि समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, समस्त मुख्य वन संरक्षक, समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

मु0 व0 सं0
नि0 वि0 एवं सम0
उ0 प्र0 लखनऊ
..9/12